

बच्चों, युवाओं, परिवार, समानता, शरणार्थियों और अवसरों के लिए मंत्रालय की डिक्री – आवास का अधिकार (एमकेजेएफजीएफआई) – अनुलग्नक 3

आवेदन निर्देशों के पॉइंट 1.6 के संदर्भ में

---

राष्ट्रीयता अधिनियम (StAG) की धारा 10, पैराग्राफ 1, वाक्य 1, नंबर 1

पर प्रारंभिक आवेदन नोट के आधार पर शपथ लेने के लिए एक नमूने का प्रावधान

स्वतंत्र लोकतांत्रिक संवैधानिक व्यवस्था में विश्वास ज़ाहिर करने के लिए शपथ:

"1. मैं जर्मनी के फेडरल रिपब्लिक के बुनियादी कानून के स्वतंत्र लोकतांत्रिक संवैधानिक आदेश के प्रति अपनी निष्ठा की शपथ

लेता/लेती हूँ। मैं विशेष रूप से स्वीकार करता/करती हूँ:

- a) चुनाव और मतदान तथा विशेष विधायी, कार्यकारी और न्यायिक निकायों के माध्यम से राज्य को अपने अधिकार का प्रयोग करने के लिए सार्वभौमिक, प्रत्यक्ष, स्वतंत्र, समान और गुप्त मताधिकार द्वारा लोगों के प्रतिनिधियों का चुनाव करने का लोगों का अधिकार,
- b) संवैधानिक आदेश के अनुरूप रहने का लेजिस्लेचर का दायित्व और कानून और न्याय के अनुरूप काम करने का एक्ज़िक्यूटिव और जुडिशियरी प्रशासन का दायित्व,
- c) संसदीय विपक्ष तैयार करने और उसके प्रयोग का अधिकार
- d) सरकार को हटाए जाने की क्षमता और लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के प्रति उनकी जवाबदेहिता,
- e) न्यायालयों द्वारा स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता,
- f) बल या मनमानी शक्ति प्रयोग करके शासन करने का बहिष्कार,
- g) बुनियादी कानून में परिभाषित मानव अधिकार, और
- h) कोई भी कार्रवाई जो यहूदी-विरोधी, नस्लवादी, या किसी विशिष्ट देश के विरोधी हो या अन्य अमानवीय कृत्यों का सहारा

लेती हो तो वह मूल कानून द्वारा गारंटीकृत सभी मनुष्यों की गरिमा और समानता का उल्लंघन है और शपथ के विरोध में है।

2. मैं घोषित करता/करती हूँ कि मैं ऐसा कोई कार्य नहीं करता/करती हूँ या समर्थन नहीं करता/करती हूँ या न कभी किया है और

न ही समर्थन किया है ऐसे कृत्य जो

- a) स्वतंत्र लोकतांत्रिक संवैधानिक व्यवस्था, संघ या किसी देश के अस्तित्व या सुरक्षा के खिलाफ है, या
- b) फेडरेशन या भूमि या उनके सदस्यों के संवैधानिक निकायों के आधिकारिक व्यवहार को अवैध रूप से प्रभावित करने के उद्देश्य से किए जाते हैं, या
- c) जर्मनी के फेडरल रिपब्लिक के विदेशी हितों को हिंसा के माध्यम से खतरे में डालना या हिंसा की तैयारी करना, या
- d) जिनका उद्देश्य यहूदी-विरोधी, नस्लवादी, देश विशिष्ट-विरोधी हो या अन्य अमानवीय कृत्य हों।